संख्या-98/2018/3528 ई-2/तेरह-2018-64/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 06 नवम्बर,2018

विषय:-जनपद-लखनऊ के होटल/रेस्टोरेन्ट को बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-2448/जि0आ0अधि0/बार अनु0/2018-19/लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 11-9-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी0-124/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/कैपचीनो ब्लास्ट/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 20 अक्टूबर,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त कैपचीनो ब्लास्ट एल0एल0पी0, 12-माल एवेन्यू, लखनऊ को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट में आने वाले आगन्तुकों के वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा, पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन व वैले पार्किंग की भी व्यवस्था करने के साथ रेस्टोरेन्ट में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त मेटल डिटेक्टर से हैण्डहेल्ड सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किया जाए

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-98/2018/3528(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी0-124/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/कैपचीनो ब्लास्ट/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 20 अक्टूबर,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।